

## धुलाई से संबंधित नियम व शर्तें।

1. कपड़े धोते समय किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित फर्म की होगी तथा उसकी भरपाई करनी होगी जिसका निर्धारण निदेशक महोदय अथवा उनके द्वारा बनाई गई समिति करेगी।
2. धुलाई से संबंधित सामान कार्यालय निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुरुग्राम के अध्यापक भवन से ही उठाना होगा तथा निर्धारित समय पर वापिस उसी स्थान/कार्यालय मे ही जमा करवाना होगा।
3. धुलाई के कार्य को निश्चित समय अर्थात् चार दिनों के अन्दर-2 पूरा करना होगा।
4. जब भी धुलाई संबंधी कार्य के लिए बुलाया जाए तो उस दिन समय पर उपस्थित होना होगा।
5. यदि किसी प्रकार की कोताही बरती गई अथवा नियमों की अनुपालना नहीं की गई तो बिना नोटिस के ठेका रद्द किया जा सकता है, तथा इसका पूर्ण अधिकार निदेशक महोदय को होगा।
6. कुटेशन अनिवार्य दस्तावेजों को निर्धारित प्रपत्र के साथ दिनांक 27-03-2025 को साय 5 बजे तक जमा करानी होगी।
7. कुटेशन परिषद् द्वारा 28-03-2025 को प्रातः 11 बजे निदेशक महोदय के समक्ष खोली जाएगी।
8. फर्म के नाम चालू खाता न0, पैन न0, जी0एस0टी0 नम्बर होना अनिवार्य है।
9. टैण्डर की अवधि दिनांक 01-04-2025 से 31-03-2026 तक होगी।

निदेशक

एस0सी0ई0आर0टी0हरियाणा,

गुरुग्राम  
1713125 1713125

निविदा प्रपत्र लाण्डी

फर्म का नाम :

पता :

फोन नम्बर :

धुलाई से सम्बंधित वस्तुएँ

क्र०सं०	वस्तुओं के नाम	दर प्रति नग
1.	सफेद चादरें/प्रिंटेड /मोटी (सिंगल )	
2.	कम्बल	
3.	रजाई कवर	
4.	तकिए कवर	
5.	तकिए	
6.	गद्दे कवर	
7.	पर्दे सूती	
8.	पर्दे सिन्थेटिक/वैलवेट	
9.	डबल बैड सीट	
10.	तोलिए बड़े	
11.	तोलिए छोटे	
12.	सिन्थेटिक रजाई	
13.	झण्डा छोटा	
14.	मेजपोश	
15.	कारपैट	
16.	सोफा	
17.	चेयर	
18.	गर्म सूट	
19.	गर्म शाल	
20.	कपड़े	

प्रोपराईटर के हस्ताक्षर